

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-62/2021- /स्वा०, पटना, दिनांक- / /2025

डॉ० सुष्मिता कुमारी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालन्दा सम्प्रति संक्रामक रोग अस्पताल, अमगकुआँ, पटना के द्वारा दिनांक-16.02.2022 से 21.11.2022 तक कुल 279 (दो सौ उन्नासी) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1002(25), दिनांक-25.05.2023 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उपभोगिता अवकाश को घटाने के पश्चात डॉ० सुष्मिता कुमारी को 359 (तीन सौ उनसठ) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल-62/2021 471 (2) पटना, दिनांक 20/12/2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, संक्रामक रोग अस्पताल, अमगकुआँ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, पटना/ डॉ० सुष्मिता कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, संक्रामक रोग अस्पताल, अमगकुआँ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव